



राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(ए)169 / पार्ट-7 / संस्था / बीमा / 00197 /

दिनांक : 17-01-2025

आदेश 381

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के श्री महावीर प्रसाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीकानेर संभाग, बीकानेर का राजकीय सेवा में रहते हुये दिनांक 15.09.2024 को निधन हो जाने पर उनके आश्रित पुत्र श्री रोहित सिरौही जिनकी कक्षा 10 की अंकतालिका / प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म दिनांक 24.08.2001 है, को विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प. 7(2)डीओपी/क-2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तों पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर में पदस्थापित किया जाता है। अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण(Duty Joining) करना होगा।

उक्त प्रावधानों के तहत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

- 1 इन्हें परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची-4 में उल्लेखित शर्तों के अनुसरण में रुपये 14600/- (फिक्स) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।
- 2 इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निर्धारित रनिंग पे बेण्ड 5200-20200 (पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या 5) सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 3 अभ्यर्थी को कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 एवं परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हता नियुक्ति के पश्चात् परिवीक्षाकाल में अर्थात् 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि वह उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी लम्बी अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा, उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।

Signature valid



Digitally signed by Dhan Lal Sherawat
Designation : Director
Date: 2025.01.16 18:37:42 IST
Reason: Approved

W:\Digit\O\B\pudhant\deSystem\MS\Store\Digit\Gov\Intranet\PDF\12781698_76896549500968933.docx

RajKaj Ref No.: 12781698

6. दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र तथा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दा स आचक सत्तापन गहा होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र 7. मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित, कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक, अर्थात् दोनों ही दशाओं में, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये, के संबंध में शपथ पत्र, कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष (अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित प्रतियां) प्रस्तुत करनी होंगी अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(अन्तःस्थान प्रेरणक)



क्रमांक:एफ1(ए)169/पार्ट-7/संस्था/बीमा/00197/ 8743-755 दिनांक : 17-01-2025

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
 4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **बीकानेर संभाग, बीकानेर।**
 5. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **बीकानेर** उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 09 की पालना सुनिश्चित करे।
 6. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट के **Appointment Section** में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
 7. केडर स्ट्रेंथ लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारण लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
 8. **श्री रोहित सिरौही पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद पता-भक्तो की गली, तेलीवाडा चौक, बीकानेर-334001** को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 9 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे।
 9. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

(धनलाल शेरावत)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Dhan Lal Sherawat
Designation : Director
Date: 2025.01.16 18:37:42 IST
Reason: Approved